राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
179/15	11.09.2015	23.08.2018

अनुवान

1. जलेसिंह उर्फ जलेराम पुत्र मुखराम
2. सुखराम
3. कबूल सिंह उर्फ कंवल सिंह
4. रोहिताश पुत्रान मंगलराम
5. विमल कुमार पुत्र उम्मेद
6. प्रेम देवी पत्नी उम्मेद सिंह
7. प्रकाश चन्द
8. कुलदीप
9. चरणसिंह

10 सुबेसिंह पुत्रान बुधराम जातियान जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. मीरसिंह पुत्र चोखराम जाति जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण

3. वतन पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा–हु0ई0दवामी

–::निर्णय::–

दिनांकः– 23.08.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 943/540 वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर में स्थित होकर उक्त विवादित आराजी का 1/2 भाग हमारे

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

पूर्वजों से प्राप्त खातेदारी की आराजी है। वादीगण 5 व 6 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का पिता उम्मेद सिंह एवं वादी संख्या 7 लगायत 10 का पिता बुधराम फौत हो जाने के कारण उनके वारिसान आराजी पर काबिज काश्त है। पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। चूंकि उक्त ख0न0 का 1/2 भाग जो वादीगण का है, गांव व आबादी के नजदीक है पर अपने–अपने हिस्से अनुसार मुताबिक रिकार्ड वादीगण करीब 12–13 साल से सुरक्षा के वास्ते चारदीवारी लगाकर काबिज है। प्रतिवादीगण का वाद में वर्णित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना व सबंध सरोकार नहीं है। गैर वास्ता गैर काबिज व्यक्ति है तथा मिनवादीगण को आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करने पर उतारू रहते है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है। दिनांक 06.09.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का मातहक विवादित आराजी पर आकर जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया। मना किया तो आमादा लडाई झगडा हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हें आराजी से बेदखल कर देगें। कोई निर्माण कार्य नहीं करने देगें तथा हम जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करेगें। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होती है। यदि वाकई में प्रतिवादीगण अपने बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गये और जबरन कब्जा कर लिया तो मिनवादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी। चूंकि मिनवादीगण के अधिकार काननू द्वारा रक्षित है। इसलिए अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी के 1/2 भाग में अन्य सह खातेदार है। जिससे कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। इसलिए सहखातेदार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे व हु0ई0दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी के 1/2 भाग वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर पर जबरन रस्ता कायम नहीं करें ना ही मिनवादीगण के काश्तकार्य में मजामहत पैदा करें का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सरजीत सिंह यादव अधिवक्ता व पैरोकार उपस्थित आये। बार–बार अवसर उपरांत जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबंदी एवं शपथ पत्र जलेसिंह व जगरूप पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वाद पत्र के जिमनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण असल का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किये जाने का निवेदन रहा। इस प्रकार से जब प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (...)

Scanned by CamScanner

किसी भी प्रकार का कोई लेना–देना ही नहीं है ऐसी स्थिति में यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

–::आदेश::–

अतः यह न्यायालय वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0न0 943/540 वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग के बाबत का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण असल को सदैव–सदैव के लिए हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें, ना ही आराजी से बेदखल करें। पाबंद रहे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	**रजू दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
179/15	**11.09.2015**	**23.08.2018**

अनुवान

1. जलेसिंह उर्फ जलेराम पुत्र मुखराम
2. सुखराम
3. कबूल सिंह उर्फ कंवल सिंह
4. रोहिताश पुत्रान मंगलराम
5. विमल कुमार पुत्र उम्मेद
6. प्रेम देवी पत्नी उम्मेद सिंह
7. प्रकाश चन्द
8. कुलदीप
9. चरणसिंह

10 सुबेसिंह पुत्रान बुधराम जातियान जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. मीरसिंह पुत्र चोखराम जाति जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण

3. वतन पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा–हु0ई0दवामी

वादीगण की ओर से **श्री अरूण पंडित एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 23.08.2018 को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हाल आराजी ख0न0 943/540 वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग के बाबत का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण असल को सदैव–सदैव के लिए हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें, ना ही आराजी से बेदखल करें। पाबंद रहे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 23.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner